रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-18.

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्र 28, 1908
No. 441] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1099(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुए माने जाएंगे।

2. रेल कर्मचारियों के प्रवर्ग जिन पर ये नियम लागू होते हैं :—

(1) इन नियमों द्वारा या उनके अधीन जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय ये नियम उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो रेल सेवा में नियुक्त किये गये हैं।

(2) ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) ऐसे रेल कर्मचारी जो समूह "क" सेवा में हैं या कोई समूह "क" पद धारण किए हुए हैं,

(ख) भूतपूर्व देशी रियासतों के वे स्थायी कर्मचारी जिन्हें रेल सेवाओं में आमेलित किया गया है लेकिन तब तक जब तक वे रेल सेवा में आमेलन की शर्तों के अन्तर्गत आमेलनपूर्व की सेवा की शर्तों द्वारा शासित है,

(ग) ऐसे व्यक्ति जिन्हें विदेश में राजनयिक, कौंसिलीय या अन्य भारतीय स्थापनों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किया गया है,

(घ) ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण-कालिक नियोजन में नहीं है,

(ङ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिकताओं में से संदाय किया जाता है,

(च) ऐसे व्यक्ति जिन्हें मासिक आधार से अन्यथा संदाय किया जाता है जिनके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको केवल मात्रानुपाती आधार पर संदाय किया जाता है,

(छ) ऐसे व्यक्ति जो, वहां के सिवाय जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित है, संविदा पर नियोजित है,

(ज) ऐसे व्यक्ति जो सेवा निवृत्ति के पश्चात् रेल सेवा में पुनर्नियोजित हैं,

(झ) किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा इन नियमों में अन्तर्विष्ट सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित करें।

3. परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "मूल वेतन" से वह वेतन अभिप्रेत है जो भारतीय रेल संहिता वाल्यूम-II के नियम 2003(21)(क)(i) मूल नियम 9 (21)(क)(i) में यथा परिभाषित है।

(2) किसी रेल कर्मचारी के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से चाहे किसी मूल या स्थानापन्न हैसियत में 1 जनवरी, 1986 को रेल कर्मचारी द्वारा धारित पद को लागू वर्तमान वेतनमान, यथास्थिति उसको लागू वैयक्तिक वेतनमान/अभिप्रेत है,

स्पष्टीकरण:—ऐसे रेल कर्मचारी की दशा में, जो पहली जनवरी 1986 को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या छुट्टी पर था या विदेशी सेवा में था या जो उस तारीख को एक या अधिक निम्न पदों पर स्थानापन्न रूप में उस दशा में कार्य करता जब कि वह उच्च पद पर स्थानापन्न न होता, "विद्यमान वेतनमान" के अन्तर्गत वह वेतनमान भी होता है जो उस पद को लागू है जिसे वह उस दशा में धारण करता जबकि, यथास्थिति, वह भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति या छुट्टी या विशेष सेवा या उच्च पद पर स्थानापन्न न होता।

(3) पहली अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में "वर्तमान वेतनमान" से उसके कालम 3 में उस पद के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत है,

(4) "पुनरीक्षित उपलब्धियों" से पुनरीक्षित वेतनमान में किसी रेल कर्मचारी का मूल वेतन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त, उसे अनुज्ञेय पुनरीक्षित प्रैक्टिस-बंदी भत्ता, यदि कोई है, भी है,

(5) पहली अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतनमान" से उसके कालम 4 में उस पद के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत है, जब तक कि उस पद के लिए कोई भिन्न पुनरीक्षित वेतनमान पृथक रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है,

(6) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

4. पदों का वेतनमान—इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से, पहली अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पद का वेतनमान वह होगा जो उसके कालम 4 में उसके सामने विनिर्दिष्ट है।

5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करना—इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, रेल कर्मचारी उस पद को जिस पर वह नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु कोई रेल कर्मचारी उस तारीख तक विद्यमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करते रहने का निश्चय कर सकेगा जब तक कि वह विद्यमान वेतनमान में अपनी अगली या कोई पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है या जब तक कि वह अपना पद रिक्त नहीं कर देता है या उस वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द नहीं कर देता है।

स्पष्टीकरण 1:—इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतनमान की बाबत अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण 2:—पूर्वोक्त विकल्प ऐसे किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा जो 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके पश्चात् किसी पद पर चाहे रेल सेवा में पहली बार, या किसी अन्य पद से स्थानान्तरण या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है और उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3:—जहां कोई रेल कर्मचारी नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारित किसी पद की बाबत विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने के लिए भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम-II नियम 2017 (मूल नियम 22) या नियम 2027 (मूल नियम 31) या उस पद को लागू किसी अन्य नियम या आदेश के अधीन उस वेतनमान में वेतन के विनियमन के प्रयोजन के लिए इस नियम के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो उसका अधिष्ठायी वेतन वह अधिष्ठायी वेतन होगा जिसे वह तब प्राप्त करता जब वह उस स्थायी पद की बाबत विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता जिस पर उसका कोई धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता यदि धारणाधिकार समाप्त नहीं किया गया होता, या स्थानापन्न पद का वेतन, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश के अनुसार अधिष्ठायी वेतन का रूप ले लिया है, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा।

6. विकल्प का प्रयोग:—(1) नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग दूसरी अनुसूची से उपलब्ध प्रारूप में लिखित रूप में किया जाएगा जिससे कि वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के तीन मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान उस तारीख के पश्चात् किए गए किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख के तीन मास के भीतर, उपनियम (2) में वर्णित प्राधिकारी को पहुंच जाए,

परन्तु यह कि :

(i) ऐसे किसी रेल कर्मचारी की दशा में जो यथास्थिति, ऐसे प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को, भारत के बाहर छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति या अन्यत्र सेवा या सक्रिय सेवा में है, तो उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में किया जाएगा जिससे कि वह भारत में उसके पद का भारग्रहण करने की तारीख के तीन मास के भीतर उक्त प्राधिकारी को पहुंच जाए, और

(ii) जहां कोई सरकारी सेवक 1 जनवरी, 1986 को निलंबनाधीन है वहां विकल्प का प्रयोग उसके ड्यूटी पर वापस आने की तारीख के तीन मास के भीतर किया जा सकेगा, यदि वह तारीख इस उपनियम में विहित तारीख से बाद में है।

(2) विकल्प रेल कर्मचारी द्वारा संसूचित किया जाएगा।

(क) यदि वह अराजपत्रित रेल कर्मचारी है, तो अपने कार्यालय प्रधान को,

(ख) यदि वह राजपत्रित रेल कर्मचारी है, अपने लेखा अधिकारी को।

(3) यदि विकल्प की बाबत संसूचना उपनियम (1) में वर्णित समय के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है तो रेल कर्मचारी के बारे में यह माना जाएगा कि उसने 1 जनवरी, 1986 से ही पुनरीक्षित वेतनमान से शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

टिप्पणी 1:—ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाओं को 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् समाप्त किया गया था और जो मृत्यु, मंजूर किए गए पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्ति, त्यागपत्र, अनुशासनिक आधारों पर पदच्युति या सेवोन्मुक्ति के कारण विहित समय परिसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, इन नियम के फायदों के हकदार हैं।

टिप्पणी 2:—ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनका 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गयी थी और जो विहित समय परिसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, यह माना जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 1986 से ही या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक फायदाप्रद हो, पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प का चयन कर लिया है, यदि पुनरीक्षित वेतनमान अधिक अनुकूल हों और ऐसे मामलों में, बकाया के संदाय के लिए आवश्यक कार्रवाई कार्यालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए ।

7. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का नियत किया जाना :—(1) ऐसे किसी रेल कर्मचारी का जो 1 जनवरी, 1986 से ही पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होने का चयन करता है या जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसने नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन उसका चयन किया है, प्रारंभिक वेतन जब तक कि राष्ट्रपति किसी मामले में विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेशित न करे, उस स्थायी पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार है या धारणाधिकार होता यदि वह निलंबित नहीं किया जाता, उसके अधिष्ठायी वेतन की बाबत और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन की बाबत निम्नलिखित रीति में पृथक रूप से नियत किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) उन सभी कर्मचारियों की दशा में, 75 रुपये के न्यूनतम के अधीन रहते हुए विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन के 20 प्रतिशत को रूपित करने वाली रकम कर्मचारी की "विद्यमान उपलब्धियों" में जोड़ी जाएगी ।

(2) विद्यमान उपलब्धियों की इस प्रकार वृद्धि किए जाने के पश्चात वेतन इस प्रकार संगणित रकम के ठीक अगले प्रक्रम पर पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाएगा :—

परन्तु यह कि—

(क) यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम इस प्रकार अवधारित रकम से अधिक है, तो वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा :—

(ख) यदि इस प्रकार अवधारित रकम पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक है तो वेतन उस वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "विद्यमान परिलब्धियां" के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :—

(क) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन ;

(ख) औसत सूचकांक 608 (1960=100) पर अनुज्ञेय मूल वेतन के लिए समुचित मंहगाई वेतन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और तदर्थ मंहगाई भत्ता; और

(ग) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन पर अनुज्ञेय अन्तरिम राहत की पहली और दूसरी किस्त की रकम ।

(आ) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जिन्हें विद्यमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन मिल रहा है और जहां विशेष वेतन वाले विद्यमान वेतनमान के स्थान पर ऐसा वेतन रखा गया है जिसमें कोई विशेष वेतन नहीं है, वहां वेतन उपरोक्त खण्ड (अ) के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में "विद्यमान परिलब्धियां" के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :—

(क) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन :

(ख) विशेष वेतन की विद्यमान रकम :

(ग) सुसंगत आदेशों के अधीन औसत सूचकांक 608 (1960=100) पर अनुज्ञेय मूल वेतन और विशेष वेतन के लिए समुचित मंहगाई वेतन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और तदर्थ मंहगाई भत्ता : और

(घ) सुसंगत आदेशों के अधीन विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन और विशेष वेतन पर अनुज्ञेय अन्तरिम राहत की पहली और दूसरी किस्तों की रकम ।

(इ) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जिन्हें विद्यमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन मिल रहा है और जिनके मामले में विशेष वेतन या तो उसी दर पर या किसी भिन्न दर पर पुनरीक्षित वेतनमान सहित बना हुआ है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उपरोक्त खण्ड (अ) के उपबंधों के अनुसार उसके स्पष्टीकरण के अनुसार संगणित विद्यमान उपलब्धियों के प्रतिनिर्देश से मंहगाई वेतन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और तदर्थ मंहगाई भत्ता के प्रति निर्देश से उस पर अनुज्ञेय विद्यमान विशेष वेतन और रकम का अपवर्जन करने के पश्चात् नियत किया जाएगा और ऐसे मामलों में नई दर पर विशेष वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा ।

(ई) ऐसे रेलवे चिकित्सा अधिकारियों की दशा में जिन्हें व्यवसाय-निषेध भत्ता मिल रहा है, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उपरोक्त खण्ड (अ) के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में "विद्यमान परिलब्धियां" के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित होगा :—

(क) विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन;

(ख) सुसंगत आदेशों के अधीन औसत सूचकांक 608 (1960=100) पर अनुज्ञेय मूल वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ता के लिए समुचित मंहगाई वेतन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और तदर्थ मंहगाई भत्ता; और

(ग) सुसंगत आदेशों के अधीन विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ता पर अनुज्ञेय अन्तरिम राहत की पहली और दूसरी किस्तों की रकम,

और ऐसे मामलों में नई दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा ।

टिप्पण :1.—जहां कोई सरकारी सेवक कोई स्थायी पद धारण किए हुए है और नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न कार्य कर रहा है और इन दोनों पदों को लागू वेतनमानों का एक वेतनमान में विलय कर दिया गया है, वहां वेतन केवल स्थानापन्न पद के प्रतिनिर्देश से इस उपनियम के अधीन नियत किया जाएगा और इस प्रकार नियत वेतन अधिष्ठायी वेतन माना जाएगा ।

इस टिप्पण के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे रेल कर्मचारियों को लागू होंगे जो विभिन्न विद्यमान वेतनमानों पर स्थानापन्न हैसियत में पदों को धारण किए हुए हैं, जिनके स्थान पर एक पुनरीक्षित वेतनमान रख दिया गया है ।

टिप्पण : 2.—जहां यथास्थिति, खण्ड (अ), खण्ड (आ), खण्ड (इ) या खण्ड (ई) के अनुसार संगणित विद्यमान परिलब्धियां किसी रेल कर्मचारी की दशा में पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हों, वहां अन्तर वैयक्तिक वतन के रूप में अनुज्ञात होगा जिसे वेतनमान में भावी वृद्धियों में आमेलित किया जाएगा ।

टिप्पण : 3.—जहां उपनियम (1) के अधीन वेतन नियत करने में, ऐसे रेल कर्मचारियों का, जो विद्यमान वेतनमान में पांच लगातार प्रक्रमों से अधिक पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन एकत्रित कर दिया जाता है, अर्थात् पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम पर नियत कर दिया जाता है वहां ऐसे रेल कर्मचारियों, जो विद्यमान वेतनमान मे प्रथम पांच लगातार प्रक्रमों के परे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन को, उस प्रक्रम तक, जहां ऐसा एकत्रीकरण होता है, निम्नलिखित रीति से

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियां करके नीचे के अनुसार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) विद्यमान वेतनमान में छठवां प्रक्रम से दसवां प्रक्रम तक वेतन प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए—एक वेतनवृद्धि करके;

(ख) विद्यमान वेतनमान में ग्यारहवां प्रक्रम से पन्द्रहवां क्रम तक वेतन प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए, यदि दसवां प्रक्रम से परे एकत्रीकरण हो—दो वेतनवृद्धि करके;

(ग) विद्यमान वेतनमान में सोलहवां प्रक्रम से बीसवां प्रक्रम तक वेतन प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए, यदि पन्द्रहवां प्रक्रम से परे एकत्रीकरण हो—तीन वेतनवृद्धि करके ।

यदि यथाउपर्युक्त वेतन बढ़ाकर किसी रेल कर्मचारी का वेतन उस पुनरीक्षित वेतनमान में किसी प्रक्रम पर नियत किया जाता है जो उस पुनरीक्षित वेतनमान में प्रक्रम से उच्चतर है जिस पर किसी ऐसे रेल कर्मचारी का, जो उसी विद्यमान वेतनमान में अगले उच्चतर प्रक्रम या प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त कर रहा था, वेतन नियत किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती का वेतन भी केवल उस विस्तार तक बढ़ाया जाएगा जिस तक वह पूर्ववर्ती के वेतन से कम पड़ता है ।

टिप्पण 4—जहां उपनियम (1) के अधीन वेतन नियत करने में किसी ऐसे रेल कर्मचारी का, जो विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी, 1986 के ठीक पहले उसी काडर में अपने से कनिष्ठ किसी अन्य रेल कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निम्नतर किसी प्रक्रम पर नियत कर दिया जाता है वहां उसका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में उसी प्रक्रम तक बढ़ाया जाएगा जो कनिष्ठ का है ।

टिप्पण 5—जहां 1 जनवरी, 1986 को कोई रेल कर्मचारी वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा है, जो, यथास्थित, खंड (अ), खंड (आ), खंड (इ) या खंड (ई) के अनुसार यथासंगणित उसकी विद्यमान उपलब्धियों के साथ मिलकर पुनरीक्षित उपलब्धियों से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे अधिक्य का अन्तर ऐसे रेल कर्मचारी को वैयक्तिक वेतन के रूप में वेतन में भविष्य में होने वाली वृद्धियों में आमेलित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

टिप्पण 6—ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो "हिन्दी शिक्षण योजना" के अधीन हिन्दी प्राज्ञ, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि और ऐसी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, या रोकड़ और लेखा संबंधी विषयों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, 1 जनवरी, 1986 से पहले से वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे है, यद्यपि वैयक्तिक वेतन को पुनरीक्षित वेतनमानों में आरम्भिक वेतन नियत करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा, वे 1 जनवरी, 1986 को और से या बाद में उस अवधि के लिए जिसके लिए वे पुनरीक्षित वेतनमान में अपना वेतन नियत न होने पर उसे प्राप्त करते, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने वेतन के नियत हो जाने के पश्चात वैयक्तिक वेतन प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे वैयक्तिक वेतन की मात्रा उस अवधि के लिए जिसके लिए कर्मचारी उसे प्राप्त करता रहता, वेतन नियत करने की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर से संबंद्ध की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की समुचित दर से उस प्रक्रम और उसके ठीक परे प्रक्रम पर जिस पर, कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया जाता है, अनुज्ञेय वेतनवृद्धि की राशि अभिप्रेत है ।

टिप्पण 7—ऐसे मामलों में, जहां 1 जनवरी, 1986 के पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत कोई वरिष्ठ रेल कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान में अपने ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करता है जिसे 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन उस वेतन के बराबर रकम तक बढ़ाया जाना चाहिए जो उसके कनिष्ठ के लिए उस उच्चतर पद पर नियत किया गया है। यह रकम कनिष्ठ रेल कर्मचारी की प्रोन्नति की तारीख से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए बढ़ायी जानी चाहिए, अर्थात :—

(क) कनिष्ठ और वरिष्ठ रेल कर्मचारी दोनों उसी काडर के होने चाहिए और वे पद जिन पर वे प्रोन्नत किए गए हैं उसी काडर में समान होने चाहिए,

(ख) ऐसे निम्नतर और उच्चतर पदों के, जिन पर वे वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं, पूर्व-पुनरीक्षित और पुनरीक्षित वेतनमान समान होने चाहिए, और

(ग) विषमता सीधे भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम II के नियम 2018-ख (मूल नियम 22 ग) या पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन नियतन को विनियमित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबन्धों को लागू करने के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। यदि निम्नतर पद पर भी कनिष्ठ अधिकारी उसे मंजूर की गई किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के फलस्वरूप पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पण के उपबन्धों को वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी का वेतन पुनः नियत करने से संबंधित आदेश भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम II के नियम 2023 (मूल नियम 27) के अधीन जारी किए जाने चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुनः नियत किए जाने की तारीख से अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा के पूरा करने पर अगले वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

(2) नियम 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपनियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथानियत वेतन अधिष्ठायी पद पर नियत वेतन से कम है तो पूर्ववर्ती अधिष्ठायी वेतन के ठीक ऊपर के प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

8. पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख—

किसी ऐसे रेल कर्मचारी की, जिसका वेतन नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है, अगला वेतनवृद्धि उस तारीख को दी जाएगी जिसको वह अपनी वेतनवृद्धि लेता यदि वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में, जहां किसी रेल कर्मचारी का वेतन नियम 7 के उपनियम (1) के टिप्पण 3 या टिप्पण 4 या टिप्पण 7 के निबन्धनों के अनुसार बढ़ाया जाता है, अगली वेतनवृद्धि, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के बढ़ाए जाने की तारीख से बारह मास की अर्हक सेवा के पूरा करने पर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में, जो पूर्ववर्ती परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों से भिन्न हैं, किसी ऐसे रेल कर्मचारी की, जिसका वेतन 1 जनवरी, 1986 को उसी प्रक्रम पर नियत किया जाता है जो वही है जिस पर उसी काडर के उससे कनिष्ठ अन्य रेल कर्मचारी के लिए नियत किया जाता है और वह विद्यमान वेतनमान में उससे निम्नतर प्रक्रम पर वेतन प्राप्त कर रहा है, अगली वेतनवृद्धि उसी तारीख को दी जाएगी जैसा उसके कनिष्ठ को अनुज्ञेय है, यदि कनिष्ठ की वेतनवृद्धि की तारीख पूर्वतर होती है :

परन्तु यह भी कि ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जो 1 जनवरी, 1986 को एक वर्ष से अधिक तक विद्यमान वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर रहे थे, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 1986 को अनुज्ञात होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में, जो 1 जनवरी, 1986 को विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर दो वर्षों से अधिक तक रुके होने पर तदर्थ वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1 जनवरी, 1986 को पुनरीक्षित वेतनमान में एक और वेतनवृद्धि, पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन पहले ही अनुज्ञात वेतनवृद्धि के अतिरिक्त, अनुज्ञात होगी।

टिप्पण 1—जहां-जहां वेतन उपर्युक्त परन्तुकों के निबन्धनों के अनुसार नियत किया गया है, दक्षता रोध, इस बात को विचार में लाए बिना कि किसी रेल कर्मचारी ने विद्यमान वेतनमान में दक्षतारोध पार किया था या नहीं या उस पर रुका हुआ था, पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसे रोधों के प्रति निर्देश से ही प्रवृत्त होगा।

टिप्पण 2—चौथे परन्तुक के अधीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि का फायदा भी किसी रेल कर्मचारी को उस वेतनमान में, जिसमें यदि वह अपना उच्चतर स्थानापन्न पद धारण नहीं किया रहता तो वह 1 जनवरी, 1986 को विद्यमान वेतनमान के अधिकतम पर दो वर्षों से अधिक तक रुके होने पर तदर्थ वेतनवृद्धि पाता, इस बात को विचार में लाए बिना कि वह वस्तुतः तदर्थ वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा था या नहीं, पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक न होने के अधीन रहते हुए, संदांतिक रूप से अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 3—जहां तीसरे और चौथे परन्तुकों के निबंधनों के अनुसार दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां के दिए जाने से, अधिष्ठायी पदों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान में किसी रेल कर्मचारी का अधिष्ठायी वेतन किसी भी समय उसके स्थानापन्न वेतन से अधिक हो जाता है, वहां रेल कर्मचारी को, स्थानापन्न वेतन के अतिरिक्त, उन अवधियों के लिए जिनके दौरान अधिष्ठायी वेतन स्थानापन्न वेतन से अधिक हो जाता है, स्थानापन्न वेतन और अधिष्ठायी वेतन के बीच का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धियों में आमेलित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

टिप्पण 4—ऐसे मामलों में, जहां दो विद्यमान वेतनमान, जो एक अन्य वेतन के लिए प्रोन्नति संबंधी वेतनमान है, मिला दिए जाते हैं, और अब निम्नतर वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करने वाला कनिष्ठ रेल कर्मचारी उस वेतनमान में रुके होने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा है, और ऐसा होता है कि वह उपर्युक्त टिप्पण 2 और 3 के अधीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि के दिए जाने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान में विद्यमान उच्चतर वेतनमान में वरिष्ठ रेल कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ रेल कर्मचारी के वेतन को उसी तारीख से उसके कनिष्ठ के वेतन तक बढ़ाया जाएगा और वह ऐसे वेतन बढ़ाए जाने की तारीख से अर्हता की अवधि पूरी करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

9. 1 जनवरी, 1986 के पश्चात्वर्ती पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियत करना :—जहां कोई रेल कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करता रहता है और उसे 1 जनवरी, 1986 के बाद अगली किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में पश्चात्वर्ती तारीख से उसका वेतन रेलवे के मूल नियमों के अधीन नियत किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए विद्यमान वेतनमान में उसके वेतन का वही अर्थ होगा जो उपनियम (1) के, यथास्थिति खंड (अ), खंड (आ), खंड (इ) या खंड (ई) के अनुसार यथासंगणित विद्यमान परिलब्धियों का है, सिवाय इसके कि उन परिलब्धियों की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाने वाला मूल वेतन पूर्वोक्त पश्चात्वर्ती तारीख को मूल वेतन होगा और जहां रेल कर्मचारी विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त कर रहा है वहां उसका वेतन, इस प्रकार संगणित परिलब्धियों को समुचित पुनरीक्षित दरों से, यथास्थिति, विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता के बराबर रकम की उन परिलब्धियों से कटौती करने के पश्चात् नियत किया जाएगा।

10. 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् उस तारीख के पूर्व धारित किसी पद पर पुनर्नियुक्ति की जाने पर वेतन नियत करना :—किसी ऐसे रेल कर्मचारी को, जिसने 1 जनवरी, 1986 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया था किन्तु वह उस तारीख को वह पद धारण नहीं कर रहा था और जो उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता है, यथास्थिति, भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम II के नियम 2017 (मूल नियम 22) के परन्तुक या नियम 2018-ख (मूल नियम 22 ग) के चतुर्थ परन्तुक का फायदा उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाएगा जो उस दशा में अनुज्ञेय होता यदि वह 1 जनवरी, 1986 को वह पद धारण कर रहा होता और उस तारीख से पुनरीक्षित का निर्वाचन किया होता।

11. वेतन के बकायों के संदाय की रीति :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, वेतन के बकाए, जिनके लिए कोई रेल कर्मचारी इन नियमों के अधीन सुसंगत अवधि की बाबत हकदार हो, रेल कर्मचारी को, या तो नकद या उसे रेल कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करके या उस रेल कर्मचारी के नाम में खोले गए किसी विशेष बचत खाते में जमा करके या भागतः नकद और भागतः पूर्वोक्त सभी रीतियों या उनमें से किसी अन्य रीति के द्वारा, जैसा राष्ट्रपति, इस निमित्त, आदेश द्वारा अवधारित करें, संदत्त किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए :—

(क) किसी रेल कर्मचारी के संबंध में, "वेतन के बकाए" से :—

(1) ऐसे वेतन और भत्तों के, जिनके लिए वह सुसंगत अवधि के लिए इन नियमों के अधीन अपने वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण होने के कारण हकदार हैं, योग; और

(2) ऐसे वेतन और भत्तों के, (चाहे उसने ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त किए थे या नहीं) जिनके लिए वह उस अवधि के लिए हकदार होता यदि उसके वेतन और भत्तों का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता, योग,

के बीच का अन्तर अभिप्रेत है;

(ख) "सुसंगत अवधि" से 1 जनवरी, 1986 को प्रारंभ होने वाली और 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

12. नियमों का अध्यारोही प्रभाव :—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रेलवे के मूल नियमों, रेल सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 1947, रेल सेवा (प्राधिकृत वेतन) नियम, 1960 और रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के उपबंध, ऐसे मामलों को, जहां वेतन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस विस्तार तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं।

13. शिथिल करने की शक्ति :—जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के सभी उपबंधों या उनमें से किसी के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होगी वहां वह, आदेश द्वारा, उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति से मामले को निपटाने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेंगे या उन्हें शिथिल कर सकेंगे।

14. निर्वचन :—यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए रेलवे बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा।

पहली अनुसूची

(नियम 3 और 4 देखिए)

समूह 'घ', 'ग' और 'ख' में वर्तमान वेतनमान वाले पदों के लिए, (1) रेलवे बोर्ड सचिवालय, (2) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ (3) रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा (4) रेल दर प्राधिकरण, मद्रास (5) रेल संपर्क कार्यालय, नयी दिल्ली (6) रेल संचलन (कोयला) कलकत्ता (7) सभी रेलवे भर्ती बोर्डों (8) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूर संचार संस्थान, सिकन्दराबाद (9) भारतीय रेल उच्च रेलपथ प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के कार्यालयों के उन पदों को छोड़कर जिनके लिए विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान अलग से अधिसूचित किये गये हैं, पुनरीक्षित वेतनमान।

सं.	पद	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1	2	3 (रु.)	4(रु.)
1.	कालम 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमानों वाले सभी पद	(क) 196-3-220-द.रो.-3-232 (ख) 200-3-212-4-232-द.रो.-4-240 (चयन ग्रेड)	750-12-870-द.रो.-14-940
2.	यथोक्त	(क) 200-3-212-4-232-द.रो.-4-240 (ख) 200-3-206-4-234-द.रो.-4-250	775-12-955-द.रो.-14-1025
3.	यथोक्त	(क) 210-4-250-द.रो.-5-270 (ख) 210-4-226-द.रो.-4-250-द.रो.-5-290	800-15-1010-द.रो.-20-1150
4.	यथोक्त	(क) 225-5-260-6-290-द.रो.-6-308	825-15-900-द.रो.-20-1200
5.	यथोक्त	260-6-326-द.रो.-8-350	950-20-1150-द.रो.-25-1400
6.	यथोक्त	(क) 290-6-326-द.रो.-8-350 (ख) 260-6-290-द.रो.-6-326-8-366-द.रो.-8-390-10-400	950-20-1150-द.रो.-25-1500
7.	यथोक्त	260-8-300-द.रो.-8-340-10-380-द.रो.-10-430	975-25-1150-द.रो.-30-1540
8.	यथोक्त	330-8-370-10-400-द.रो.-10-480	1200-30-1440-द.रो.-30-1800
9.	यथोक्त	330-10-380-द.रो.-12-500-द.रो.-15-560	1200-30-1560-द.रो.-40-2040
10.	यथोक्त	(क) 380-12-500-15-530 (ख) 380-12-500-द.रो.-15-560	1320-30-1560-द.रो.-40-2040
11.	यथोक्त	(क) 380-12-440-द.रो.-15-560-द.रो.-20-640 (ख) 425-15-530-द.रो.-15-560-20-600	1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200
12.	यथोक्त	(क) 425-15-560-द.रो.-20-640 (ख) 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700 (ग) 455-15-560-द.रो.-20-700	1400-40-1800-द.रो.-50-2300

1	2	3(रु.)	4(रु.)
13.	कालम 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमानों वाले सभी पद	(क) 425-15-500-द.रो.-15-560-20-640-द.रो.-20-700-25-750 (ख) 425-15-500-द.रो.-15-560-20-700-द.रो.-25-800 (ग) 470-15-530-द.रो.-20-650-द.रो.-25-750	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600
14.	यथोक्त	(क) 550-20-650-25-750 (ख) 550-20-650-25-800	1600-50-2300-द.रो.-60-2660
15.	यथोक्त	(क) 500-20-700-द.रो.-25-900 (ख) 550-25-750-द.रो.-30-900	1640-60-2600-द.रो.-75-2900
16.	यथोक्त	(क) 650-30-740-35-880-द.रो.-40-960 (ख) 650-30-740-35-880-द.रो.-40-1040 (ग) 700-30-760-35-900 (घ) 775-35-880-40-1000	2000-60-2300-द.रो.-75-3200
17.	यथोक्त	650-30-740-35-810-द.रो.-35-880-40-000-द.रो.-40-1200	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500
18.	यथोक्त	(क) 840-40-1040 (ख) 840-40-1000-द.रो.-40-1200	2375-75-3200-द.रो.-100-3500
19.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केवल रेलवे बोर्ड और,अ.अ.मा.सं.) निजी सचिव,(केवल रेलवे बोर्ड)	650-30-740-35-880-द.रो.-40-1040 650-30-740-35-810-द.रो.35-880-40-1000—दरो.40-1200	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500

अनुदेश : —(1) पुनरीक्षित वेतनमान रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों, चाहे उनके पदनाम कुछ भी हों, के वर्तमान वेतनमानों के आधार पर ही लागू होंगे क्रम सं. 19 के अंतर्गत आने वाले रेल कर्मचारियों को छोड़कर।

(2) जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पहले प्रवरण ग्रेड में वेतन पा रहे कर्मचारी के मामले में, पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन ऐसे प्रवरण ग्रेड के तदनुरूपी ग्रेड में निर्धारित किया जायेगा और उक्त वेतन ऐसे कर्मचारी का वैयक्तिक वेतन होगा।

(3) वर्तमान वेतनमानों के आधार पर रेल कर्मचारियों का समूह 'घ', 'ग' और 'ख' में वर्तमान वर्गीकरण अगले आदेशों तक पुनरीक्षित वेतनमानों में ही बना रहेगा। पुनरीक्षित वेतनमानों में वर्गीकरण में कोई परिवर्तन न किया जाये।

द्वितीय अनुसूची

विकल्प का प्रारूप

(नियम 6 (1) (देखिए)

*(1) मैं 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूं।

*(2) मैं नीचे लिखित मूल/स्थानापन्न पद के विद्यमान वेतनमान में तब तक रहने का चयन करता हूं जब
*अगली वेतन वृद्धि की तारीख होती है।

पश्चातवर्ती वेतन वृद्धि की तारीख होती है जिससे मेरा वेतन रुपये हो जाता है।

मैं पद रिक्त करता हूं या विद्यमान वेतनमान में वेतन लेना छोड़ता हूं।

विद्यमान वेतनमान

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय जिसमें नियोजित हो।

तारीख

स्थान

*यदि लागू न हो तो कटि दीजिए।

पावती

श्री सुपुत्र पदनाम
कार्यालय/स्टेशन से

*(1) 1 जनवरी, 1986 से सभी पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान चयन करने का विकल्प प्राप्त हुआ।

(2) निम्नलिखित मूल/स्थानापन्न पद के विद्यमान वेतनमान में तब तक रहने का चयन करने का विकल्प प्राप्त हुआ जब तक
*उसकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख होती है
उसकी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख होती है जिससे उसका वेतन रुपये हो जाता है।
वह पद रिक्त करता है या विद्यमान वेतनमान में वेतन लेना छोड़ता है।
विद्यमान वेतनमान

तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय जिसमें नियोजित हो

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

प्रथम अनुसूची केवल रेलवे बोर्ड और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के पदों से संबंधित है। रेलों, उत्पादन कारखानों, परियोजनाओं और कार्यालयों के पदों से संबंधित अनुसूचियां कार्यकारी आदेशों के अधीन अलग से जारी की जा रही है।

(ए. एन. वांचू)
सचिव, रेलवे बोर्ड

रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम 1 – यह नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

नियम 2 – यह नियम कर्मचारियों की उन कोटियों का उल्लेख करता है जिन पर ये नियम लागू हैं। सिवाय उन कोटियों के जो खंड (2) के अधीन अपवर्जित की गयी हैं, ये नियम राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति के अधीन, रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

नियम 3 – यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 4 – ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो फिलहाल समूह "ख" और समूह "ग" में हैं और जिनके लिए वेतन आयोग ने समूह "क" की किसी कोटि को लागू वेतनमानों की सिफारिश की है, यह नियम उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक ऐसे कर्मचारियों को लागू होने वाले वेतनमान अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं।

नियम 5 – आशय यह है कि सभी रेल कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में लाया जाए सिवाय उनके जो वर्तमान वेतनमानों में वेतन लेने का निश्चय करते हैं।

वे कर्मचारी जो वर्तमान वेतनमानों में बने रहने का विकल्प करते हैं 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त दरों पर महंगाई वेतन, महगांई भत्ता, तदर्थ महगांई भत्ता और अंतरिम राहत लेते रहेंगे और उनका महगांई वेतन, मकान किराए, प्रतिकरात्मक भत्ते और पेंशन के लिए परिलब्धियों, आदि के लिए उस सीमा तक गणना में लिया जाएगा जिस तक वह उक्त तारीख को गणना में लिया जाता था।

यदि कोई रेल कर्मचारी मूल हैसियत से स्थायी पद धारण कर रहा है और किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है या किसी एक या अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति आदि पर न होता तो उसे केवल एक वेतनमान के विद्यमान वेतनमान को प्रतिधारित करने का विकल्प है। ऐसा रेल कर्मचारी स्थायी पद के लिए लागू वर्तमान वेतनमान, या स्थानापन्न पदों में से किसी एक के वेतनमान, को प्रतिधारित कर सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्य रूप से पुनरीक्षित वेतनमान में ही लाना होगा।

नियम 5 का स्पष्टीकरण 3 – चूंकि रेल कर्मचारी को केवल मूल या किसी एक स्थानापन्न पद के विद्यमान वेतनमान को प्रतिधारित करने का विकल्प होगा अतः उस रेल कर्मचारी को जो अपने स्थानापन्न पद के वर्तमान वेतन का प्रतिधारण करता है उसके मूल पद के पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाएगा। मूल पद के पुनरीक्षित वेतनमान में महगांई वेतन/अतिरिक्त महगांई भत्ता/तदर्थ महगांई भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान में अन्तर्विष्ठ हो जाएगा, जब कि स्थानापन्न वेतनमान में उसे महगांई वेतन और अतिरिक्त महगांई भत्ते/तदर्थ महगांई भत्ते की वर्तमान दरें अनुमेय होंगी। यदि उसका वेतन, उच्चतर स्थानापन्न पद के वर्तमान वेतनमान में, मूल पद के पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के अनुसार से पुनः नियत किया जाना है तो इससे उसे महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन और अंतरिम राहत का दोहरा लाभ मिल जाएगा। यह स्पष्टीकरण इस प्रकार के अनाशयित लाभ का निवारण करने के लिए है।

नियम 6 – यह नियम वह पद्धति विहित करता है जिससे विकल्प का प्रयोग किया जाना है और उस प्राधिकारी को भी विहित करता है जिसे ऐसे विकल्प की सूचना दी जानी चाहिए। विकल्प इन नियमों से संबद्ध उचित फार्म में किया जाएगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रेल कर्मचारी के लिए केवल यह ही पर्याप्त नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट समय-सीमा में विकल्प का प्रयोग करे, अपितु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकल्प विहित प्राधिकारी के पास समय से पहुंच जाए। ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो इन नियमों के लागू होने के समय भारत के बाहर हैं, विकल्प देने की अवधि भारत में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास है। उन रेल कर्मचारियों के मामले में, जिनके पद के पुनरीक्षित वेतनमान इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख के बाद घोषित किए जाते हैं, तीन मास की उक्त अवधि ऐसी घोषणा की तारीख से आरम्भ होगी।

ऐसे व्यक्ति भी, जो 1 जनवरी, 1986 और इन नियमों को जारी करने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं, विकल्प देने के पात्र हैं।

नियम 7(1) – इस नियम का संबंध, 1 जनवरी, 1986 को विद्यमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण करने से है। रेल कर्मचारी का वेतनमान इस उपनियम के अधीन तथा नियम 7(1) के नीचे टिप्पणी के अंतर्गत वेतन में वृद्धि के अधीन रहते हुए जिस रीति से निर्धारित किया जाना चाहिए इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :—

उदाहरण सं० 1

1. वर्तमान वेतनमान	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो० 8-390-10-400 रु.
2. प्रस्तावित वेतनमान	950-20-1150-द. रो.-25-1500 रु.
3. वर्तमान मूल वेतन	342.00
4. औसत सूचकांक 608 पर महंगाई वेतन 1 अतिरिक्त महंगाई भत्ता	662.50 रु.
5. अंतरिम राहत की दो किस्तें	110.00 रु.
6. वर्तमान परिलब्धियां	1114.50 रु.
7. मूल वेतन का 20 प्रतिशत, न्यूनतम 75 रु. तक, जोड़िये	75.00 रु.
जोड़	1189.50 रु.

प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित 1200.00 रु. किया जाने वाला वेतन

उदाहरण सं. 2

1. वर्तमान वेतनमान	650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-960-रु. + 100 रु. विशेष वेतन
2. प्रस्तावित वेतनमान	2375-75-3200-द. रो.-100-3500 (विशेष वेतन रहित)
3. वर्तमान मूल वेतन + विशेष वेतन	845 + 100 रु.
4. मूल वेतन और विशेष वेतन पर औसत सूचकांक 608 पर महंगाई वेतन (अतिरिक्त महंगाई वेतन)	1390.60 रु.
5. अंतरिम राहत की दो किस्तें	155.00 रु.
6. वर्तमान परिलब्धियां	2490.60 रु.
7. मूल वेतन का 20 प्रतिशत जोड़िए	169.00 रु.
जोड़	2659.60 रु.

वित वेतनमान में नियत
जाने वाला वेतन 2675.00 (विशेष वेतन रहित)
रण सं 3

र्तमान वेतनमान 210-4-250-द.रो.-5-270 रु.
10 रु. विशेष वेतन सहित

प्रस्तावित वेतनमान 800-15-1010-द.रो.-20-1150 रु.
20 रु. विशेष वेतन सहित

वर्तमान मूल वेतन 230 रु.

औसत सूचकांक पर महं-
गाई वेतन 1 महंगाई
भत्ता 463.50 रु.

अंतरिम राहत की दो
किस्तें 100.00 रु.

वर्तमान परिलब्धियां 793.50 रु.

मूल वेतन का 20 प्रति-
शत न्यूनतम 75 रु.
तक, जोड़िए 75.00 रु.

जोड़ 868.50 रु.

ावित वेतनमान में निर्धा-
रित किया जाने वाला
वेतन 875.00 + 20 रु. विशेष वेतन

नियम 7(2)+यह नियम भारतीय रेल स्थापना संहिता, वाल्यूम
के नियम 2027(2) एफ. आर. 31(2) के उपबन्धों के अनुसार
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस नियम का फायदा उन मामलों
अनुमेय नहीं हैं वहां रेल कर्मचारी ने अपने मूल पद को पुनरीक्षित वेतन-
न लेने का निश्चय किया है किन्तु स्थानापन्न पद के वर्तमान वेतनमान का
तिधारण किया है।

नियम 8 – यह नियम उस रीति को विहित करता है जिसमें नए
नमान में आगामी वेतन वृद्धि विनियमित की जानी चाहिए। इस नियम
परन्तुक ऐसे कनिष्ठ रेल कर्मचारियों की विषमताओं को दूर करने के
आशयित हैं जो इस नियम के मूल भाग के प्रवर्तन के कारण अपने
ष्ठों से अधिक वेतन ले रहे हैं और इसमें उन रेल कर्मचारियों का भी
न रखा गया है जो 1-1-1986 को एक वर्ष से अधिक से वर्तमान
मान में अधिकतम वेतन ले रहे हैं तथा उन रेल कर्मचारियों का भी
न रखा गया है जो वर्तमान वेतन के अधिकतम पर रुके हुए हैं और
तव में तदर्थ आधार पर वृद्धिरोध वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

नियम 9 से 14 – ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन – रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1986
वेतन आयोग द्वारा समूह "ख" समूह "ग" और समूह "घ" के रेल
ारियों के वेतनमानों के संबंध में की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित
के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि आयोग ने 1 अप्रैल, 1986 से वेतन-
ों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखा है किन्तु सरकार ने इन सिफारिशों
1 जनवरी, 1986 से प्रभावी करने का विनिश्चय किया है जिससे कि
सरकारी सेवकों को अधिक लाभ दिया जा सके। तदनुसार, इन नियमों
1 जनवरी, 1986 से पूर्वव्याप्ति से प्रभावी किया जा रहा है। यह
ोत किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्याप्ति रूप से प्रभावी करने
से किसी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर ये
म लागू होते हैं।

[सं. पी सी – 4/86/आर एस आर पी/1]
अ. ना. बांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 19th September, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1099(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1986.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1986.

2. Categories of Railway servants to whom the rules apply.—(1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to Railway services.

(2) These rules shall not apply to :

(a) Railway servants is a Group 'A' service or holding a Group 'A' post ;

(b) Permanent employees of former Indian States absorbed in Railway services so long as such persons continue to be governed by the pre-absorption conditions of service under the Railway Services ;

(c) Persons locally recruited for service in Diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries ;

(d) persons not in whole-time employment ;

(e) persons paid out of contingencies ;

(f) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate-basis ;

(g) persons employed on contract except where the contract provides otherwise ;

(h) persons re-employed in Railway service after retirement ;

(i) any other class or category of persons whom the President may, by order, specially exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "basic pay" means pay as defined in Rule 2003(21)(a)(i)[FR 9-(21)(a)(i)] of the Indian Railway Establishment Code, Volume II;

(2) "existing scale" in relation to a Railway Servant means the present scale applicable to the post held by the Railway servant (or as the case may be, personal scales applicable to him) as on the 1st day of January, 1986

whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation.—In the case of a Railway servant, who was on the 1st day of January, 1986 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date, officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post ;

(3) "present scale" in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against the post in column 3 thereof ;

(4) "revised emoluments" means the basic pay of a Railway servant in the revised scale and includes the revised non-practising allowance, if any, admissible to him, in addition to the pay in the revised scale ;

(5) "revised scale" in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 4 thereof unless a different revised scale is notified separately for that post ;

(6) "schedule" means a schedule annexed to these rules.

4. Scale of pay of posts.—As from the date of commencement of these rules, the scale of pay of every post specified in column 2 of the First Schedule shall be as specified against it in column 4 thereof.

5. Drawal of pay in the revised scales.—Save as otherwise provided in these rules, a Railway servant shall draw pay in the revised scale applicable to the post to which he is appointed :

Provided that a Railway servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Explanation 1.—The option to retain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

Explanation 2.—The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 1986, whether for the first time in Railway Service, or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only in the revised scales.

Explanation 3.—Where a Railway servant exercises the option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Rule 2017 (F.R. 22) or Rule 2027 (F.R. 31) of Indian Railway Establishment Code Volume II or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. Exercise of Option.—(1) The option under the proviso to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the Second Schedule so as to reach the authority mentioned in sub rule (2) within three months of the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months of the date of such order :

Provided that—

(i) in the case of a Railway servant who is, on the date of such publication or as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India ; and

(ii) Where a Railway servant is under suspension on the 1st day of January, 1986, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

(2) The option shall be intimated by the Railway servant—

(a) if he is a non-gazetted Railway servant to the Head of his office;

(b) if he is a gazetted Railway servant, to his Accounts Officer.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Railway servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised scale of pay with effect on and from the 1st day of January, 1986.

(4) The option once exercised shall be final.

Note 1.—Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 1986 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note 2.—Persons who have died on or after the 1st day of January, 1986 and could not exercise the option within the prescribed time limit be deemed to have opted for the revised scales on and from the 1st day of January, 1986 or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised scales are more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office/Accounts Officer.

7. Fixation of initial pay in the revised scale.—(1) The initial pay of a Railway servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised scale on and from the 1st day of January, 1986, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:—

(A) in the case of all employees,—

(i) an amount respresenting 20 per cent of the basic pay in the existing scale, subject to a minimum of Rs.75, shall be added to the "existing emoluments" of the employee;

(ii) after the existing emoluments have been so increased, the pay shall thereafter be fixed in the revised scale at the stage next above the amount thus computed:

Provided that—

(a) if the minimum of the revised scale is more than the amount so arrived at, the pay shall be fixed at the minimum of the revised scale ;

(b) if the amount so arrived at is more than the maximum of the revised scale, the pay shall be fixed at the maximum of that scale.

Explanation.—For the purpose of this clause "existing emoluments" shall include,—

(a) the basic pay in the existing scale ;

(b) dearness pay, additional dearness allowance and ad hoc dearness allowance appropriate to the basic pay admissibe at index average 608 (1960=100) ; and

(c) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale ;

(B) in the case of employees who are in receipt of special pay in addition to pay in the existing scale and where the existing scale with special pay has been replaced by a scale of pay without any special pay, the pay shall be fixed in the revised scale in accordance with the provisions of clause (A) above except that in such cases "existing emoluments" shall include.—

(a) the basic pay in the existing scale ;

(b) existing amount of special pay ;

(c) dearness pay, additional dearness allowance and ad hoc dearness allowance appropriate to the basic pay and special pay admissible at index average 608 (1960=100) under the relevant orders ; and

(d) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale and special pay under the relevant orders ;

(C) in the case of employees who are in receipt of special pay in addition to pay in the existing scales and in whose case special pay continues with the revised scale of pay either at the same rate or at a different rate, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above with reference to existing emoluments calculated in accordance with the Explanation thereto, after excluding the existing special pay and the amounts admissible thereon with reference to dearness pay, additional daarness allowance and ad hoc dearness allowance, and in such cases special pay at the new rate shall be drawn in addition to the pay so fixed in the revised scale ;

(D) in the case of Railway medical officers who are in receipt of non-practising allowance, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above except that in such cases the term "existing emoluments" shall include only.—

(a) the basic pay in the existing scale ;

(b) dearness pay, additional dearness allowance and ad hoc dearness allowance appropriate to the basic pay and non-practising allowance admissible at index average 608 (1960=100) under the relevant orders ; and

(c) the amounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale and non-practising allowance under the relevant orders,

and in such cases, non-practising allowance at the new rates shall be drawn in addition to the pay so fixed in the revised scale.

Note 1.—Where a Railway servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note shall apply, mutatis mutandis, to Railway servants holding in an officiating capacity posts on different existing scales which have been replaced by a single revised scale.

Note 2.—Where the existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), Clause (B), Clause (C) or Clause (D), as the case may be, exceed the revised emoluments in the case of any Railway servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 3.—Where in the fixation of pay under sub-rule (1) the pay of Railway servants drawing pay at more than five consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised scale at the same stage, the pay in the revised scale of such of these Railway servants who are drawing pay beyond the first five consecutive stages in the existing scale shall be stepped up to the stage where such bunching occurs, as under, by the grant of increment(s) in the revised scale in the following manner, namely :—

(a) for Railway servants drawing pay from the 6th upto the 10th stage in the existing scale —By one increment,

(b) for Railway servants drawing pay from the 11th upto the 15th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 10th stage by two increments,

(c) for Railway servants drawing pay from the 16th upto the 20th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 15th stage-By three increments.

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Railway servant gets fixed at a stage in the revised scale which is higher than the stage in the revised scale at which the pay of a Railway servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay or the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short that of the former.

Note 4.—Where in the fixation of pay under sub-rule (1) pay of a Railway servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st day of January, 1986 more pay than another Railway servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised scale at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped upto the same stage in the revised scale as that of the junior.

Note 5.—Where a Railway Servant is in receipt of personal pay on the first day of January, 1986, which together with his existing emoluments as calculated in accordance with Clause (A), Clause (B), Clause (C) or Clause (D), as the case may be, exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Railway servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note 6.—In the case of employees who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya, Hindi Typewriting, Hindi Shorthand and such other examinations under the "Hindi Teaching Scheme", or, on successfully undergoing training in cash and accounts matters prior to the 1st day of January, 1986, while the psrsonal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised scales, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised scale on and from the 1st day of January, 1986 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised scale. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised scale from the date of fixation of pay for the period for which the employee would have continued to draw it.

Explanation.—For the purpose of this Note, "appropriate rate of increment in the revised scale" means the amount of increment admissible at and immediately beyond the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised scale.

Note 7.—In cases, where a Senior Railway servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 1986 draws less pay in the revised scale than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 1986, the pay of the Senior Railway Servant should be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Railway servant subject to fulfilment of the following conditions, namely :—

(a) both the junior and the senior Railway servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre,

(b) the pre-revised and revised scales of pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical ; and

(c) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Rule 2018B (FR 22C) of Indian Railway Establishment Code Volume II or any other Rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised scale. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provisions of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

The orders relating to refixation of the pay of the senior officer in accordance with the above provisions should be issued under Rule 2023 (F.R. 27) of Indian Railway Establishment Code Voume II and the senior officer will be entitled to the next increment on completition of his required qualifying service with effect from the date of refixation of pay.

(2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the stage next above the substantive pay.

8. Date of next increment in the revised scale—

The next increment of a Railway servant whose pay has been fixed in the revised scale in accordance with sub-rule (1) of rule 7 shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he continued in the existing scale :

Provided that in cases where the pay of a Railway servant is stepped up in terms of Note 3 or Note 4 or Note 7 to sub-rule (1) of rule 7, the next increment shall be granted on the completion of qualifying service of twelve months from the the date of the stepping up of the pay in the reised scale ;

Provided further that in cases other than those covered by the preceding proviso, the next increment of a Railway servant, whose pay is fixed on the 1st day of January, 1986 at the same stage as the one fixed for another Railway servant junior to him in the same cadre and drawing pay at a lower stage than his in the existing scale, shall be granted on the same date as admissible to his junior, if the date of increment of the junior happens to be earlier;

Provided also that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 1986, next increment in the revised scale shall be allowed on the 1st day of January, 1986;

Provided also that in the case of Railway servants who were in receipt of an ad hoc increment on their

stagnating for more than two years at the maximum of the existing scale of pay as on the 1st day of January, 1986, one more increment in the revised scale shall be allowed to them on the 1st day of January 1986, in addition to the increment already allowed under the preceding proviso.

Note 1.—Wherever the pay has been fixed in terms of the above provisos the efficiency bar will become operative only with reference to such bars in the revised scale, irrespective of whether a Railway servant had crossed or not crossed or had been held up at the efficiency bar in the existing scale.

Note 2.—The benefit of additional increment under the fourth proviso will also be notionally admissible to a Railway servant in the scale in which he would have got an ad hoc increment on his stagnating for more than two years at the maximum of the existing scale of pay as on the 1st day of January, 1986 but for his holding higher officiating post, subject to the maximum of the revised scale not being exceeded, irrespective of whether he was actually in receipt of the ad hoc increment or not.

Note 3.—Where by the grant of two additional increments in terms of the third and fourth provisos, in the revised scale applicable to the substantive post, the substantive pay of a Railway servant exceeds his officiating pay at any time, the Railway servant may be allowed, in addition to officiating pay, the difference between the officiating pay and substantive pay as personal to pay to be absorbed in future increments for the periods during which the substantive pay exceeds the officiating pay.

Note4.—In cases where two existing scales, one being a promotional scale for the other, are merged, and the junior Railway servant, now drawing his pay in the lower scale, is receiving personal pay for stagnating in that scale, and happens to draw more pay in the revised scale due to grant of additional increment under Notes 2 and 3 above, than the pay of the senior Railway servant in the existing higher scale, the pay of the senior Railway servant in the revised scale shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment after completing the qualifying period from the date of such stepping up of pay.

9. Fixation of pay in the revised scale subsequent to the 1st day of January, 1986.—Where a Railway servant continue to draw his pay in the existing scale and is brought over to revised scale from a date later than the 1st day of January, 1986, his pay from the later date in the revised scale shall be fixed under the Railway Fundamental Rules and for this purpose his pay in the existing scale shall have the same meaning as of existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clause (C) or clause (D), as the case may be, of sub-rule (1) of rule 7 except that the basic pay to be taken into account for calculation of those emoluments will be the basic pay on the latter date aforesaid and where the Railway servant is in receipt of special pay or non practsing allowance, his pay shall be fixed after deducting from those emoluments an amount equal to the special pay or non practising allowance as the case may be, at the revised rates appropriate to the emoluments so calculated.

10. Fixation of pay on reappointment after the 1st day of January, 1986 to a post held prior to that date.

A Railway servant who had officiated in a post prior to the 1st day of January, 1986 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointmen to that post draws pay in the revised scale of pay shall be allowed the benefit of the proviso to Rule 2017(F.R. 22) or of the fourth proviso to Rule 2018-B(F.R. 22C) of Indian Railway Establishment Code Volume II, as the case may be, the extant it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of January, 1986 and had elected the revised scale of pay on and from that date.

11. Mode of payment of arrears of pay.—Notwithstanding anything contained in these rules, the arrears of pay to which any Railway servant may be entitled in respect of the relevant period under these rules shall be paid to the Railway servant either in cash or by a crediting the same to the provident fund account of the Raiway servant or by crediting the same to a special savings account to be opened in the name of the Railway servant or partly in cash and partly by all or any of the other modes aforesaid, as the President may, by order, determine in this behalf.

Explanation.—For the purposes of this rule—

(a) "arrears of pay", in relation to a Railway servant, means the different between—

(i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of the revision of his pay and allowances under these rule, for the relevant period, and

(ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (Whether such pay and allowances had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised;

(b) "relevant period" means the period commencing on the 1st day of January, 1986 and ending with the 30th day of September, 1986.

12. Overriding effect of Rules.—The provisions of the Railway Fundamental Rules, the Railway Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Railway Services (Authorised Pay) Rules, 1960 and Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973 shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extant they are inconsistent with these rules.

13 Power to relax.—Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing wih the case in a just and equitable manner.

14. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Railway Board for decision.

THE FIRST SCHEDULE

(See Rules 3 & 4)

Revised scales for posts carrying present scales in Group 'D', 'C' & 'B' except posts for which different revised scales are notified separately in the Offices of..(1) Railway Board Secretariat, (2) Research Designs & Standards Organisation, Lucknow, (3) Railway Staff College, Vadodara, (4) Railway Rates Tribunal, Madras, (5) Railway Liasion Offices, New Delhi, (6) Rail Movements (Coal), Calcutta, (7) All Railway Recruitment Boards, (8) Indian Railways Institute of Signal Engineering & Telecommunication, Secunderabad, (9) Indian Railways Institute of Advance Track Technology, Pune.

S. No.	Posts	Present scale	Revised scale
1	2	3	4
		(Rs.)	(Rs.)
1.	All posts in the present scales specified in Col. 3.	a. 196-3-220-EB-3-232 b. 200-3-212-4-232-EB-4-240 (SG)	750-12-870-EB-14-940
2.	-do-	a. 200-3-212-4-232-EB-4-240 b. 200-3-206-4-234-EB-4-250	775-12-995-EB-14-1025
3.	-do-	a. 210-4-250-EB-5-270 b. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290	800-15-1010-EB-20-1150
4.	-do-	225-5-260-6-290-EB-6-308	825-15-900-EB-20-1200
5.	-do-	260-6-326-EB-8-350	950-20-1150-EB-25-1400
6.	-do-	a. 290-6-326-EB-8-350 b. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	950-20-1150-EB-25-1500
7.	-do-	260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430	975-25-1150-EB-30-1540
8.	-do-	330-8-370-10-400-EB-10-480	1200-30-1440-EB-30-1800
9.	-do-	330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	1200-30-1560-EB-40-2040
10.	-do-	a. 380-12-500-15-530 b. 380-12-500-EB-15-560	1320-30-1560-EB-40-2040
11.	-do-	a. 380-12-440-EB-14-560-EB-20-640 b. 425-15-530-EB-15-560-20-600	1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200
12.	-do-	a. 425-15-560-EB-20-640 b. 425-15-500-EB-15-560-20-700 c. 455-15-560-20-700	1400-40-1800-EB-50-2300
13.	-do-	a. 425-15-500-EB-15-560-20-640-EB-20-700-25-750 b. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 c. 470-15-530-EB-20-650-EB-25-750	1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600
14.	-do-	a. 550-20-650-25-750 b. 550-20-650-25-800	1600-50-2300-EB-60-2660
15.	-do-	a. 500-20-700-EB-25-900 b. 550-25-750-EB-30-900	1640-60-2600-EB-75-2900
16.	-do-	a. 650-30-740-35-800-EB-40-960 b. 650-30-740-35-880-EB-40-1040 c. 700-30-760-35-900 d. 775-35-880-40-1000	2000-60-2300-EB-75-3200
17.	-do-	650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500
18.	-do-	a. 840-40-1040 b. 840-40-1000-EB-40-1200	2375-75-3200-EB-1000-3500
19.	Senior Personal Assistant, (Railway Board & R.D.S.O. only) Private Secretary (Railway Board only)	650-30-740-35-880-EB-40-1040 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500

Instruction.— (1) The revised scales of pay are applicable for all categories of Railway servicants irrespective of their designations strictly on the basis of the existing scales of pay except those who are covered by Sl. No. 19.

(2) Except as otherwise provided, in the case of an employee drawing pay in the Selection Grade before the date of of publication of these rules, his pay shall be fixed in the revised scale corresponding to such Selection Grade and the said pay shall be personal to such employee.

(3) The existing classification of Railway servants in Group 'D', 'C' & 'B' on the basis of the existing scales of pay will continue in the revised scales till further orders. No change in the classification should be made in the revised scales.

THE SECOND SCHEDULE

Form of Option

[See Rule 6 (1)]

*(i) I.....hereby elect the revised scale with effect from 1st January, 1986.

*(ii) I.....hereby elect to continue on the existing scale of pay of my substantive/officiating post mentioned below until:

*the date of my next increment

the date of my subsequent increment raising my pay to Rs.....

I vacate or cease to draw pay in the existing scale.

Existing scale.....

Signature

Name

Designation

Office in which employed

Date:

Station

*To be scored out if not applicable

ACKNOWLEDGEMENT

Received from Shri.....S/o.....'Designation..... Pffice/Station.....an Option:

*(i) electing the revised scales of pay for all the posts from 1st January, 1986.

*(ii) electing to continue on the existing scale of pay of his substantive/officiating post mentioned below until

*the date of his next increment

the date of his subsequent increment raising his pay to Rs..... he vacates or ceases to draw pay in the existing scale.

Existing scale.....

Signature

Designation

Office in which employed.....

Date:

Station

*To be scored out if not applicable.

The First Schedule relates to only posts in the Office of the Railway Board and its attached and subordinate offices. The schedule in respect of posts on Railways, Production Units, Projects and other offices is being issued separately under executive orders.

A.N. WANCHOO,
Secretary, Railway Board.

MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE RAILWAY SERVICES (REVISED PAY) RULES, 1986

Rule 1.—This rule is self-explanatory.

Rule 2.—This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under clause (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving under the administrative control of the Railway Board.

Rule 3.—This rule is self-explanatory.

Rule 4.—In respect of such employees as are presently in Group 'B' or Group 'C' and for whom the Pay Commission has recommended scales as applicable to any category of Group 'A' employee, this rule shall not apply till such time as the scales applicable to such employees are notified.

Rule 5.—The intention is that all Railway servants should be brought over to the revised scales except those who elect to draw pay in the existing scales.

Those who exercise the option to continue on the existing scales of pay will continue to draw the dearness pay, dearness allowance, ad hoc dearness allowance and interim reliefs at the rates in force on the 1st January, 1986 and the dearness pay will count towards house rent and comppensatory allowances, emoluments for pension, etc. to the extent it so counted on the said date.

If a Railway servant is holding a permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc., he has the option to retain the existing scale only in respect of one scale. Such a Railway servant may retain the existing scale applicable to a parmanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised scales.

Explanation 3 to Rule 5.—As a Railway servant will have the opotion to retain the existing scale in respect of only the substantive or any officiating post, a Railway servant who retains the existing scale in respect of his officiating post will be brought over to the revised scale in respect of his substantive post. In the revised scale of substantive post DP/ADA/Ad hoc DA stands merged in the revised pay, whereas in the officiating scale he will be allowed the existing rates of dearness pay and ADA/Ad hoc DA. If his pay were to be refixed in the existing scale of the higher officiating post with reference to the pay on the revised scale in the substantive post, it will give him the benefit of dearness allowance, dearness pay and interim relief twice over. The explanation is designed to avoid such unintended benefit.

Rule 6.—This rule prescribes the manner in which option has to be excercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be excercised in the appropriate form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Railway servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time these rules are promulgated, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Railway servants the revised scales of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1st January, 1986 and the date of issue of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 7(1).—This rule deals with the actual fixation of pay in the existing scales on 1st January, 1986. A few illustrations indicating the manner in which pay of Railway servants should be fixed under this sub-rule subject to stepping up of pay under Notes below rule 7(1) are given below:—

Illustration No. 1.

1. Existing scale of pay	—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.
2. Proposed scale of pay	—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
3. Existing basic pay	—Rs. 342.00
4. DP/ADA at index average 608	—Rs. 662.50
5. Two instalments of interim relief	—Rs. 110.00
6. Existing emoluments	—Rs. 1114.50
7. Add. 20% of basic pay subject to minimum of Rs. 75/-	— Rs. 75.00
Total	—Rs. 1189.50

Pay to be fixed in proposed scale. . Rs. 1200/-

Illustration No. 2

1. Existing scale of pay	—Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-960 Plus Special Pay Rs. 100
2. Proposed scale of pay	—Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500 (Without any Special Pay)
3. Existing basic pay plus special pay	—Rs. 845+Rs. 100
4. DP/ADA at index average 608 on basic pay and special pay	—Rs. 1390.60
5. Two instalments of interim relief	—Rs. 155.00
6. Existing emoluments	—Rs. 2490.60
7. Add 20% of basic pay	—Rs. 169.00
Total	—Rs. 2659.60

Pay to be fixed in proposed scale—Rs 2675.00 (without any special pay)

Illustration No. 3

1. Existing sclae of pay	—Rs. 210-4-250-EB-5-270 with special pay of Rs. 10/-
2. Proposed scale of pay	—Rs. 800-15-1010-EB-20-1150 with special pay of Rs. 20/-
3. Existing basic pay	—Rs. 230/-
4. DP/ADA at index average 608	—Rs. 463.50
5. Two instalments of interim relief	—Rs. 100.00
6. Existing emoluments	—Rs. 793.50
7. Add 20% of basic pay subject to a minimum of Rs. 75/-	—Rs. 75.00
Total	—Rs. 868.50

Pay to be fixed in proposed scale of pay—Rs. 875/- plus special pay of Rs. 20/-.

Rule 7(2).—This follows the provisions of Rule 2027(2) (FR 31) (2) of the Indian Railway Establishment Code Volume II. It should be noted that the benefit of this rule is not admissible in cases where a Railway servant has elected the revised scale in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.

Rule 8.—This rule prescribes the manner in which the next increment in the new scale should be regulated. The provisions to this rules are intended to eliminate the anomalies of junior Railway servants drawing more pay than their seniors by the operation of the substantive part of this rule and also taking care of the Railway servants who have been drawing pay at the maximum of the existing scale for more than one year as on 1-1-1986 and also those Railway servants who have been stagnating at the maximum of the existing scale and are actually in receipt of stagnation increment on ad hoc basis.

Rule 9 to 14.—These rules are self-explanatory.

Explanatory Memorandum.—The Railway Services (Revised Pay) Rules, 1986 have been made to implement the recommendations made by the Fourth Pay Commission with respect to the pay scale of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' employees of the Railways. Even though the Commission has suggested the revision of pay scales from 1st April, 1986 the Government has declared to give effect to such recommedations from 1st January, 1986 in order to provide greater benefit to the Government servants in general. Accordingly, the rules are being given retrospective effect from 1st January, 1986. It is certified that the retrospective effect being given to these rules will not affect adversely any employee to whom these rules apply.

[No. PC-IV/86-R.S.R.P.-1]

A.N. WANCHOO Secy. Railway Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986